IMMIGRATION INDIA
A2 - 246
30 SEP 2022
ARRIVAL
CSMI AIRPORT, MUMBAI
A246

1017383283

इस पासपोर्ट में 36 पृष्ठ हैं। This passport contains 36 pages. 3

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

टाईप / Type: P
राष्ट्र कोड / Country Code: IND
पासपोर्ट नं./ Passport No.: P8185366

उपनाम / Surname: TAJANE
दिया गया नाम / Given Name(s): SANTOSH AMBADAS
राष्ट्रीयता / Nationality: भारतीय/INDIAN
लिंग / Sex: M
जन्म तारीख / Date of Birth: 16/11/1968
जन्म स्थान / Place of Birth: VINCHUR, MAHARASHTRA
जारी करने का स्थान / Place of Issue: THANE
जारी करने की तिथि / Date of Issue: 21/02/2017
समाप्ति की तिथि / Date of Expiry: 20/02/2027

Tajane

P<INDTAJANE<<SANTOSH<AMBADAS<<<<<<<<<<<<<<<<
P8185366<4IND6811163M2702205<<<<<<<<<<<<<<2

पिता का नाम/संरक्षक का नाम /Name of Father/Legal Guardian
TAJANE AMBADAS RAGHURAJ

माता का नाम /Name of Mother
TAJANE KASHIBAI AMBADAS

पति या पत्नी का नाम /Name of Spouse
TAJANE SANGEETA SANTOSH

पता /Address
FLAT NO.1, RAJSHREE APT, SHIVAM
NAGAR, HIRAWADI ROAD,
PANCHAVATI, NASHIK-422003, M.S.

पुराने पासपोर्ट का नं. तथा इसके जारी होने का स्थान एवं तिथि /Old Passport No. with date and Place of Issue

फाईल नं. /File No.
THNZ3528530?

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जानकारी दी जाती है कि वे अपने को निकटतम भारतीय मिशन / दूतावास पर पंजीकृत कराएं।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की संपत्ति है। पासपोर्ट अधिकारी के इस पासपोर्ट के संबंध में कोई एतराज किसी भी समय होने पर इसे मांगा जाने पर वापस करना होगा। यह पासपोर्ट धारक का उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के हेरफेरा या बिछेद नहीं किया जाना चाहिए।

पासपोर्ट पुन: जारी होने पर जमा या नष्ट हो जाने पर उसकी रिपोर्ट तत्काल नजदीक में निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को दी जानी चाहिए। यदि धारक विदेश में है तो) निकटतम भारतीय मिशन को और स्थानीय पुलिस को भी दी जानी चाहिए। निम्नलिखित चेतावनी के उल्लंघन से प्रतिकूल पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION / POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF PASSPORTS SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A REPLACEMENT PASSPORT BE ISSUED.

36